सत्यमेव जयते
भारत सरकार

# कृषि सुधार बिल–2020: किसानों के लिए अभिनव पहल

## कृषि बिलो में संसोधन की आवश्यकता क्यों:

- आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कृषि और अन्य क्षेत्रों में असमानता।
- उच्च बाजार शुल्क और असंगठित एवं अपर्याप्त बाजार।
- अपर्याप्त ढ़ाचागत एवं ऋण सुविधाएं।
- किसानों को प्राप्त होने वाली जानकारी में भिन्नता।
- लाइसेंस देने में प्रतिबंध।

## किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020

- किसानों को अपनी कृषि उपज को उचित मूल्य पर पंसदीदा स्थान पर बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता।
- कृषि उपज मंडी समिति के परिसर के बाहर पारदर्शी, बाधा मुक्त राज्य और अंतर–राज्य व्यापार और वाणिज्य।
- कृषि उपज मंडी समिति कार्य करना जारी रखेगाः अधिनियम किसानों को अतिरिक्त विपणन माध्यम प्रदान करता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं।
- जहां आवश्यकता है वहां किसानों को उसी दिन या तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करता है।
- ऑनलाइन व्यापार की अनुमति देता है।

## मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसानों (सशक्तिकरण और संरक्षण) का समझौता

- किसानों और प्रायोजकों के बीच कृषि उपज की खरीद और कृषि सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौतों के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा मॉडल कृषि समझौतों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- उपज की कीमत अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगी।
- स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट विवाद समाधान तंत्रः किसानों और खरीदारों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना।

## आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

- अधिनियम केवल एक असाधारण स्थिति में लागू होता है
  - युद्ध
  - सूखा
  - असाधारण मूल्य वृद्वि
  - प्राकृतिक आपदाएं

- स्टॉक सीमा केवल मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। यह केवल तभी लागू की जा सकती है जब बागवानी उपज के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि और गैर–नाशपाती उपज के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि हो।

## कृषि सुधार बिल के लाभ

- एकल एकीकृत बाजार ।
- किसान जिसे वे चाहते हैं और जहां वे चाहते हैं वहॉ अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता।
- कृषि उपज मंडी समिति/उत्पादक संघो के एकाधिकार का अंत।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि यह किसानों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।
- किसान अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनी ढांचे का निर्माण।
- बाजार शुल्क, करों आदि में कमी और बेहतर कीमत निर्धारण।
- खेतों के करीब बुनियादी ढांचे का विकास।
- अनुबंध खेतीः किसानों को उपज के उचित मूल्य का आश्वासन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी खेती लाभदायक हो सकती है।

### कृषि सुधार बिल के लाभ

| कृषि सुधार बिल से पूर्व | कृषि सुधार बिल के बाद |
|---|---|
| केवल कृषि उपज मंडी समिति में अधिसूचित कृषि उपज बेच सकते हैं। | कृषि उपज मंडी समिति मंडी में बेचने या किसी अन्य विक्रेता को चुनने की स्वतंत्रता। |
| व्यापारियों के बिचौलियों का एकाधिकार। | उपज बेचने के लिए कई विकल्प। |
| कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रख सकता है। | प्रतियोगिता के माध्यम से बेहतर कीमत वसूली। |
| उपज को एक बार मंडी में लाने पर किसान को जो भी कीमत मिलती है उसे स्वीकार करना पड़ता है। | अपने प्रक्षेत्र पर भी कीमत के लिए मोलभाव कर सकते हैं। |
| मंडी शुल्क, उत्पादकों और उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाने वाला कमीशन और अन्य शुल्क का भुगतान करना। | कोई फीस नहीं, कोई कमीशन नहीं, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी बचत। |
| कीमत में भिन्नता, असंगठित बाजार, बिचौलियों की लंबी श्रृंखला। | उपभोक्ता के भुगतान में उत्पादक का उच्च हिस्सा, उत्पादो की कम लागत, न्यूनतम या कोई मध्यस्थ नहीं। |
| कृषक युवाओं के लिए कृषि उत्पादों/वस्तुओं का व्यापार करने का कोई अवसर नहीं। | ग्रामीण कृषक युवाओं को व्यापार श्रृंखला चलाने का अवसर मिलेगा। |
| बिचौलियों को दरकिनार कर उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेच सकते। | बिचौलियों को छोड़कर उच्च मूल्य अर्जित करके किसी को भी उत्पाद सीधे बेच सकते हैं। |
| कृषि उपज मंडी समिति के बाहर फल और सब्जियां बेचने की स्वतंत्रता कई राज्यों में मौजूद थी। | यह स्वतंत्रता सभी कृषि उपज और पूरे देश में लागू होगी। |
| छोटे भूमि धारकों के पास आदानों और निर्गत बाजारों में सौदेबाजी की क्षमता नहीं है। | आधुनिक आदानों, सेवाओं और सुरक्षा तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाना।<br>किसान उत्पादक संगठन छोटे किसानों को बेहतर सौदेबाजी के लिए संगठित करने में मदद करता है। |
| अनुबंध खेती कुछ बड़े व्यापारियों और नौकरशाही नियंत्रण के लिए है। | किसानों के अनुकूल शर्तों पर अनुबंध।<br>किसानों को खरीदारों के साथ समझौतों के आधार पर पूर्व–निर्धारित कीमतें मिल सकती हैं। |
| किसान मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा नहीं हैं। | मूल्य श्रृंखला में किसान भागीदार हो सकते हैं। |
| बिचौलियों की लंबी श्रृंखला और खराब संचालन के कारण निर्यात में अक्षमता हो रही है। | निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को लाभ होगा। |

## किसानों से कृषि उत्पाद खरीद में वृद्धि

- 2009–10 से 2013–14 की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान में वृद्धि हुई है
  - धान के लिए 2.4 गुना (रु 4.95 लाख करोड़)
  - दालों के लिए 75 गुना (49,000 करोड़ रुपए)

- तिलहन के लिए 10 गुना (रु 25,000 करोड़)
- गेहूं के लिए 1.77 गुना (रु 2.97 लाख करोड़)

**मिथक बनाम वास्तविकता**

| मिथक | वास्तविकता |
|---|---|
| कृषि सुधार कानून से किसानों को फायदा नहीं होगा। | किसान अपने खरीदार चुन सकते हैं और अपने उत्पादो की कीमत तय कर सकते हैं। |
| किसानों के लिए विवाद समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है। | अधिनियम स्थानीय उपजिलाधिकारी के स्तर पर कम खर्च में समयबद्ध तरीके से विवाद के समाधान को बढ़ावा देता है। |
| किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलेगा। | समझौते पर उसी दिन या तीन दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना होगा। |
| किसान संगठनों को फायदा नहीं होगा। | सभी किसान संगठनों को "किसान" माना जाएगा और उन्हें भी उतना ही लाभ मिलेगा। |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं रहेगा। | न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह जारी रहेगा। |
| भारतीय खाद्य निगम किसानों से खरीद बंद करेगा। | भारतीय खाद्य निगम अन्य सरकारी एजेंसियां पहले की तरह किसानों से खरीद जारी रखेंगी। |
| कृषि उपज मंडी समिति/मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों को बेचने के लिए किसानों को लाइसेंस की आवश्यकता होती है। | किसान सर्वश्रेष्ठ मूल्य देने वाले खरीदार को मंडियों के बाहर उपज बेच सकते हैः बिना पंजीकरण/लेनदेन शुल्क के। |
| भविष्य में कृषि उपज मंडी समिति/मंडियों बंद हो जाएंगी। | मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। |
| अधिनियम राज्य कृषि उपज मंडी समिति/मंडियों के अधिकारों को प्रभावित करता है। | अधिनियम कृषि उपज मंडी समिति/मंडियों के अधिकरों को कम नहीं करता है। यह मंडियों के बाहर अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। |
| अधिनियम किसानों के भुगतान को सुरक्षित नहीं रखता है। | अधिनियम किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त दिशा–निर्देश प्रदान करता है। |
| अधिनियम से कॉर्पोरेटों द्वारा कृषि भूमि का अधिग्रहण होगा। | कृषक भूमि/स्थायी संरचना का अधिनियम बार हस्तांतरण। |

**परामर्श प्रक्रिया**

- विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि मुद्दों पर हितधारक परामर्श पिछले दो दशकों से जारी है।
- श्री शंकरलाल गुरु के अधीन विशेषज्ञ समिति (2000) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर–अलिया निरसन, प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने और विपणन विस्तार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी का सुझाव दिया।
- अंतर–मंत्रालयी कार्य बल (2002) की सिफारिशों में विपणन प्रणाली का पुनरोद्धार, न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम में सुधार और अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए कृषि विपणन पर मॉडल कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम, 2003 मॉडल कृषि उपज मंडी समिति नियम 2007 में तैयार किए गए।
- मॉडल कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम, 2003 को 18 राज्यों द्वारा अपनाया गया।
- राष्ट्रीय कृषि आयोग के तहत श्री एम.एस. स्वामीनाथन (2006) ने यूनिफाइड नेशनल मार्केट को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई।
- व्यापक परामर्श के लिए गठित कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की समिति (2010)।
- बाजार के विखंडन को हटाने और कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए मॉडल एपीएलएम अधिनियम, 2017 का गठन। (पाँच राज्यों द्वारा अपनाया गया)।
- फार्म अध्यादेशों की घोषणा से पहले राज्यों के साथ नियमित जुड़ाव जारी रहा (जून 2020) ''एक राष्ट्र एक बाजार'' की जागरूकता के लिए कृषक समुदायों, एफपीओ और सहकारी समितियों को संवेदनशील बनाने के लिए उठाए गए व्यापक कदम।